

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS)

No. F. 13(4)/96-L.A.

Dt. 14.3.1996

The following Act of Legislative Assembly received the assent of the President of India on 7th March 1996 and is hereby published for general information.

THE MINISTERS OF THE GOVERNMENT OF THE
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) ACT 1995
(DELHI ACT NO. 4 OF 1996)

AN
ACT.

Dt. 14.3.1996

further to amend 'The Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) Act, 1994'.

It is enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Forty sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short Title and Commencement - (1) This Act may be called 'The Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) (Amendment) Act, 1995'.

(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Amendment of Section 3 - In 'The Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1995)' (hereinafter referred to as 'the

Contd.....

(2)

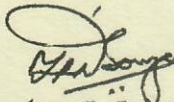
principal Act"), in section 3, sub-section (3) shall be omitted.

3. Amendment of Section 6 - In the principal Act, in section 6, in sub-section (1) for clause (c), the following shall be substituted, namely:

"(c) the petrol for the car upto a maximum of two hundred litres per mensem at Government cost:

Provided that the Central Government may, for good and sufficient reasons relax the provisions of this clause in any case subject to such conditions as it may consider necessary".




(R.T.L. D'SOUZA)
UNDER SECRETARY (L.A.)

दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग 4 में प्रकाशित

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

सं० स्फ 13(4)/96-सक.स.

दिनांक 14-3-96

राष्ट्रपति का विभाग 7 मार्च 1996 को
मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित
नियुक्ति अधिनियम जन साधारण के सम्मार्थ
प्रकाशित किया जा रहा है:-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधान
सभा के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते (संशोधन)
अधिनियम 1995.

दिल्ली अधिनियम संख्या 4, 1996

[दिल्ली राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित]
अधिनियम 14-3-1996

यह भारत गणराज्य के विधानसभा में दिल्ली विधान सभा
द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएगा :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :- यह अधिनियम राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते
संशोधन अधिनियम, 1995 कहलाएगा।

2. यह उपराज्यपाल द्वारा सरकारी राजपत्र में जारी
करने की शक्ति से प्रस्तावित जायेगा।

3. धारा 3 का संशोधन :- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
सरकार के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते अधिनियम, 1994। 1995
का दिल्ली अधिनियम। यहाँ बाद में मुख्य अधिनियम
के रूप में उल्लिखित। धारा 3 की उपधारा 3 को
हटाया जाएगा।

4. धारा 6 का संशोधन :- मुख्य अधिनियम में धारा 6 में
उपधारा 1 में, बण्ड 1 ग के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित
किए जायेंगे :- अर्थात् :-

"ग" सरकारी भवन पर प्रतिमाह अधिकतम 200 मीटर
तक ऊँचाई के लिए पैट्रोल।

बताते हैं कि केन्द्र सरकार स्मृति और पर्याप्त कारणों से
यथावश्यक शक्तों के अधीन किसी भी मामले में इस बण्ड के उपबन्धों
में छूट प्रदान कर सकती है।